

## प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक तथा (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक विमानन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वन, नर्मदा घाटी विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। यद्यपि, सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभागों को छोड़ा गया है एवं उसे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए दृष्टांत उन दृष्टांतों में से हैं जो वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2014-15 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में संचालित की गई है।